

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

पत्रावली पैरा हुई। बार-बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी वादी एवं उनके अधिवक्ता उप० नहीं हुए। अतः मु० नं० 19/2023०
 उत्तरवाणी गौविन्द प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ राज० जर्मिने तह० हिण्डौन रावा
 बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजिरी में अर्जित किया जाता है। पत्रावली कैसल सुमार होकर बाद तम्नीत नं० से कम की जाकर राखिल रहने हेतु आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)